# निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.
# उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 94 / 2014
दायरा दिनांकः–24.06.2014
निर्णय दिनांकः– 30.10.24

## उनवान

1. सैय्यद ताहिर अली आयु 45 वर्ष आत्मज आबिद अली जाति मुसलमान निवासी छबडा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

1. राजकुमारी उर्फ गुलाबबाई बेवा विजयसिंह जाति सांसी निवासीग्राम लक्ष्मीपुरा
2. राजेश आत्मज विजयसिंह जाति सांसी निवासी ग्राम लक्ष्मीपुरा
3. शैतान सिंह आत्मज चतरू जाति सांसी निवासी ग्राम लक्ष्मीपुरा
4. उद्यमसिंह आत्मज चतरू जाति सांसी निवासी लक्ष्मीपुरा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
5. सरकार जर्ये हल्का पटवारी सेमली तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 183,188 आर0 टी0 एक्ट0

निर्णय दिनांकः– 30.10.24

अभिभाषक उपस्थितः–1. श्री टीकमचन्द ढोडरिया – वादी

अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 183,188 आर.टी.ए विरूद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि आराजी खसरा नंबर 261/4 रकबा 03 बीघा 08 विरवा भूमि ग्राम आचोली तहसील छबड़ा वादी के खाते एवं कब्जे काश्त की आराजी है। जिसे वादी शांतिपूर्वक काश्त करता चला आ रहा है वाद पत्र की मद नंबर 1 में वर्णित आराजी गुगोर रोड़ पर स्थित है. वादी की आराजी में से ही उत्तर की तरफ ग्राम लक्ष्मीपुरा का रास्ता है। वादी ने फसल की सुरक्षा हेतु आराजी मद नंबर 1 दावा में गुगोर रोड व लक्ष्मीपुरा के रास्ते के समीप तारफेंसिंग कर रखी है। प्रतिवादीगण लड़ाकू–झगड़ालू प्रवृत्ति के व्यक्ति है। प्रतिवादीगण ने दो वर्ष पूर्व वाद पत्र की मद नंबर 1 में वर्णित आराजी के पश्चिम तरफ गुगोर के किनारे नीम के पेड़ के नीचे अनाधिकृत रूप से वादी की इजाजत के बिना 8 फीट लम्बा व 6 फीट चोड़ा कच्चा चबुतरा बना रखा है। प्रतिवादीगण उक्त चबुतरें की आस लेकर वादी की वाद पत्र की गद नबर 1 में वर्णित आराजी में से वादग्रस्त चबुतरे के आस–पास की भूमि पर अनाधिकृत रूप से बलपूर्वक कब्जा करने पर आमादा है। दिनांक 13.06.2014 को प्रतिवादीगण ने वादी की आराजी वाद पत्र की मद नंबर 1 में वर्णित वादग्रस्त चबूतरे के सामने की तार फेंसिंग को काटकर अनाधिकृत रूप से वादी की आराजी में प्रवेश कर वादग्रस्त चबुतरे के आस–पास की 10 फीट लंबी X 10 फीट चोड़ी आराजी पर बलपूर्वक

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

कब्जा करने पर आमादा हुए। वादी के मना करने पर वादी को काफी बुरा–भला कहा और कहा कि बादी को धारा ३ एससी–एसटी एक्ट के तहत झूठे केस में फंसा देंगे तथा प्रतिवादी कम 1 ने कहा कि आज तक महिला की चलती है. वादी को किसी भी झूठे केस में फंसा दूंगी और वादी से कहा कि मौका मिलने पर चबुतरे के आस–पास 10 फीट लबी X 10 फीट चोड़ी आराजी पर बलपूर्वक कब्जा करने की धमकी दी। अगर प्रतिवादीगण अपने मकसद में कामयाब हो गए तो वादी को अपरिमित क्षति होगी। जिसकी पूर्ति नगदी से सम्भव नहीं होगी तथा मुकदमेबाजी का ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हो जाएगा। प्रतिवादीगण द्वारा दो साल पूर्व आराजी मद नंबर 1 दावा के पश्चिम तरफ रोड किनारे नीम के पेड़ के नीचे अनाधिकृत प्रवेश कर 8 फीट लंबा X 6 फीट चोड़ा चबुतरा बनाकर अतिक्रमण कर लिया है। वादी कानूनन वादग्रस्त चबुतरा हटवाकर कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है। बिनायदावा दो वर्ष पूर्व आराजी मंद नंबर 1 दावा के पश्चिम तरफ रोड किनारे नीम के पेड़ के नीचे 8 फीट लंबा X 6 फीट चौड़ी भूमि पर अतिक्रमण कर चबुतरा बनाने एवं दिनाक 13.06.2014 को वादग्रस्त चबुतरे के आस–पास 10 फीट लंबी X 10 फीट चोड़ी आराजी पर बलपूर्वक कब्जा करने की धमकी देने पर पैदा हुआ।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण बावजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नही होने के कारण उनके विरूद्ध दिनांक 01.10.2024 को एक पक्षीय कार्यवाही की गई। वादी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम आंचोली सम्वत् 2068–71 खाता संख्या 216 नकल खसरा गिरदावरी ग्राम आंचोली सम्वत् 2068–71 पेश की गई। साक्ष्य वादी में PW1 सैय्याद ताहिर अली PW2 जमीउल्ला, PW3 अब्दुल वहीद का शपथ पत्र पेश हुआ

वादी के वाद पत्र एवं प्रतिवादीगण के जवाब दावा के आधार पर निम्न तनकी कायम की गई।

<u>तनकी नम्बर 1 –</u> आया कि आराजी खसरा नम्बर 261/4 रकबा 3.08 बीघा ग्राम आंचोली तहसील छबडा के वादी के खाते एवं कब्जे काश्त की है। आराजी गुगोर रोड पर है वादी की आराजी में से ही उत्तर की तरफ ग्राम लक्ष्मीपुरा का रास्ता है।
**वादी**

<u>तनकी नम्बर 2 –</u> आया कि वादी की आराजी पर प्रतिवादीगण कब्जा करना चाहतें है।
**वादी**

<u>तनकी नम्बर 3 –</u> आया कि वादी ने वाद पत्र मिथ्या व बनावटी पेश किया है। जिसका मूल उद्देश्य प्रतिववादीगण को परेशान करने का है **प्रतिवादी**

<u>तनकी नम्बर 4 –</u> आया कि उक्त वर्णित भूमि में गत 50 वर्षो से बापूजी महाराज का मन्दिर पक्का चतुबरा बना हुआ है। धार्मिक स्थल है जिसकी पत्थरो से बाउन्ड्री हो रही है वादी का वाद खारिज योग्य है।

**उपखण्ड अधिकारी**
**छबड़ा (बारां)**

बहस अभिभाषक वादी सुनी गई बहस के दौरान वकील वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। वकील वादी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम आंचोली तहसील छबडा में स्थित है। जो वादी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है। विवादित भूमि गुगोर रोड पर स्थिति है वादी की भूमि में से उत्तर की तरफ ग्राम लक्ष्मीपुरा का रास्ता है वादी ने फसल की सुरक्षा के लिए रास्ते के समीप तारफेसिंग कर रखी है। प्रतिवादीगण ने विवादित आराजी के पश्चिम तरफ गुगोर रोड के किनारे नीम के पेड के नीचे चबुतरा बना लिया है प्रतिवादीगण चबुतरा की आड में वादी की भूमि पर जबरन बल पूर्वक कब्जा करने पर आमादा है वादी द्वारा मना किया तो SC/ST एक्ट के तहत झुठे मुकदमें में फसाने की धमकी दी गई। यदि प्रतिवादीगण द्वारा वादी की भूमि पर जबरन कब्जा कर लिया तो वादी को अपरिमित क्षति होगी। वादी का वाद स्वीकार किया जावे तथा प्रतिवादीगण द्वारा नीम के पेड के नीचे बनाये गये चबुतरे को हटाकर वादी को कब्जा दिलाया जावे। तथा प्रतिवादीगण को पाबन्द फरमाया जावे।

बहस अभिभाषक वादी सुनी गई पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया वादी के वाद का तनकीवार निस्तारण निम्नानुसार किया जाता है।

<u>तनकी नम्बर 1 –</u> इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर था वादी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम आंचोली सम्वत् 2068–71 खाता संख्या 216 में सैय्याद ताहिर अली पुत्र आबिद अली जाति मुसलमान निवासी छबडा का नाम दर्ज है नकल खसरा गिरदावरी सम्वत् 2068–71 ग्राम आंचोली के अनुसार वादी द्वारा गेंहु की फसल काश्त किया जाना अंकित है। इससे यह साबित होता है कि विवादित भूमि वादी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है जिस पर वादी काश्त करता चला आ रहा है प्रतिवादीगण द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य व सबूत पेश नही किया जिससे प्रतिवादीगण का कब्जा साबित हो सके अतः यह तनकी वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

<u>तनकी नम्बर 2 –</u> इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर था प्रतिवादी ने जवाब दावे में कहां की बापुजी महाराज की मूर्ति का पक्का चबुतरा 50 वर्षो से अधिक समय से बना हुआ है। तथा यह मुख्य रोड पर स्थित है ना की विवादित आराजी की भूमि में स्थित है। वादी का कथन है कि यह दावा 2 वर्ष पूर्व आराजी खसरा नम्बर 261/4 रकबा 3.08 बीघा भूमि के पश्चिम तरफ रोड किनारे नीम के पेड के नीचे 8 फिट नम्बा व 6 फिट चौडी भूमि पर अतिक्रमण कर चबुतरा बनाने एवं दिनांक 13.06.2014 को वाद ग्रस्त चबुतरे के आस–पास 10 फिट लम्बी व 10 फिट चौडी आराजी पर बलपूर्वक कब्जा करने की धमकी देने पर पैदा हुआ। वादी साक्ष्य में PW1 सैय्याद ताहिर अली PW2 जमीउल्ला के बयानों में भी कथन भिन्न है। की 8X6 फिट चबुतरा बनाने की धमकी दी गई है जबकि स्थान 50 वर्षो से होना बताया गया है। अर्थात् उक्त भूमि पर बापुजी महाराज का स्थान बना होने से वादी यह साबित नही कर सकां की प्रतिवादी कब्जा करने की चेष्टा रखतें है उक्त चबुतरे का निर्माण वादी की आराजी में किया जा रहा है इस सम्बन्ध में भी ठोस

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

साक्ष्य व सबूत पेश नही किये है। ना ही सीमाज्ञान सम्बन्धी रिपोर्ट पेश की है। अतः यह तनकी विरूद्ध वादी निर्णित कि जाती है।

<u>तनकी नम्बर 3 – 4</u> चुकि तनकी नम्बर 2 विरूद्ध वादी निर्णित कि जा चुकी है। इसलिए वादी द्वारा चाहा गया अनुतोष अन्तर्गत धारा 183 व 188 आर0टी0एक्ट0 अनुज्ञेय नही है। अतः तनकी नम्बर 3 व 4 को अलग से निर्णित करने की आवश्यकता नही है।

इस वाद में यह उल्लेखनीय है की वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में तहसीलदार छबडा को 80 सी0पी0सी0 का नोटिस नही दिया गया है तथा ना ही मूल वाद के साथ पृथक से संलग्ल किया है।

अतः उपरोक्त के क्रम तनकीयात के विवेचन एवं उक्त बिन्दुओं के आधार पर वादी का वाद खारिज किया जाना न्यायोचित है।

:: <u>क्रियात्मक आदेश</u> ::

उपरोक्त विवेचनानुसार वादी का वाद चलने योग्य नही होने से खारिज किया जाता है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
आर.ए.एस.
छबड़ा (बारां)
उपखण्ड अधिकारी, छबडा

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छबडा जिला बारां (राज0)

## डिक्री

| वाद संख्या 94 / 2014 | धारा 183,188 आर टी एक्ट | निर्णय दिनांकः– 30.10.2024 |
|---|---|---|
| समक्ष : **श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, छबडा जिला बारां** | | |
| उपस्थिति :अभिभाषकवादीः–श्री टीकम चन्द ढोडरिया–वादी | | अभिभाषक प्रतिवादीः–श्री संदीप सोलंकी |

वाद शीर्षक

उनवान

1. सैय्यद ताहिर अली आयु 45 वर्ष आत्मज आबिद अली जाति मुसलमान निवासी छबडा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

1. राजकुमारी उर्फ गुलाबबाई बेवा विजयसिंह जाति सांसी निवासीग्राम लक्ष्मीपुरा
2. राजेश आत्मज विजयसिंह जाति सांसी निवासी ग्राम लक्ष्मीपुरा
3. शैतान सिंह आत्मज चतरू जाति सांसी निवासी ग्राम लक्ष्मीपुरा
4. उद्यमसिंह आत्मज चतरू जाति सांसी निवासी लक्ष्मीपुरा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
5. सरकार जर्ये हल्का पटवारी सेमली तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तद्नुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि

वादी का वाद चलने योग्य नही होने के कारण खारिज किया जाता है।

साथ ही नियमानुसार ........................................ रू0 का व्ययानुतोष ........................ द्वारा ............. को प्रदान किया जाए।
उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एव न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक **30.10.2024** को निर्गत किया गया।

उपखण्ड अधिकारी,
**उपखण्ड अधिकारी**
छबडा जिला–बारां
**छबड़ा (बारां)**

व्ययानुतोष

| क्र.सं. | व्यय मद | वादी | प्रतिवादी |
|---|---|---|---|
| 1. | वदपत्र / लिखित कथन | | |
| 2. | अभिभाषकपत्र (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय) | | |
| 3. | साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय) | | |
| 4. | प्रार्थनापत्र (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय) | | |
| 5. | पारिश्रमिकअभिभाषक | | |
| 6. | व्यय साक्षी | | |
| 7. | फीसकमिश्नर | | |
| 8. | अन्य / क्षतिपूर्ति | | |
| 9. | ब्याज ( : ) | | |
| 10. | योग | | |